(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE PART IV – EXTRAORDINARY)
**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**
**FINANCE (REV-I) DEPARTMENT**
**DELHI SECRETARIAT, I. P. ESTATE, NEW DELHI – 110 002**

No.F.10(12)/Fin(Rev-I)/2010-11/ Dated: the_____2011

## NOTIFICATION

No.F.10(12)/Fin(Rev-I)/2010-11/ In exercise of the powers conferred by section 81 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act No.10 of 2010), the Government of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules to amend the Delhi Excise Rules, 2010 namely:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| Short title and commencement. | 1. | (1) | These rules may be called the Delhi Excise (Amendment) Rules, 2011 |
| | | (2) | They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette. |
| Amendment of Rule 2.- | 2. | | In the Delhi Excise Rules, 2010 (hereinafter referred to as the "Principal Rules"), in rule 2 after sub-rule (17) the following sub-rule (17A) shall be inserted, namely:- "(17A) guest house means a guest house approved by the Tourism Department, Government of National Capital Territory of Delhi;". |
| Amendment of Rule 32.- | 3. | | In the Principal Rules, in rule 32, in sub-rule (1) at Serial Nos. 22 & 23 in Column No.3 after the word "hotel" and before the words "to residents", the words "or guest house" shall be inserted, in both the places. |
| Amendment of Rule 51.- | 4. | | In the Principal Rules, in rule 51, in sub-rule (10), for clause (e) the following shall be substituted, namely:- "Certificate from the Tourism Department, Government of India for grant of licence in form L-15 and L-16 in case of hotels and Certificate from the Tourism Department, Government of National Capital Territory of Delhi for grant of licence in form L-15 in case of guest houses." |
| Amendment of Rule 66.- | 5. | (1). | In the Principal Rules, in rule 66, in sub-rule (9), after the word "hotel" and before the words, "to the residents" the words "or guest house" shall be inserted |
| | | (2) | In the Principal Rules, in rule 66, in sub-rule (9) in clause ( c) after the word "Government of India" occuring at the end, the words "in case of Hotels and certificate from Tourism Department, Government of National Capital Territory of Delhi, in case of Guest Houses" shall be added. |

By order and in the name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(ARVIND JAIN)
Deputy Secretary-II (Finance)

No.F.10(12)/Fin(Rev-I)/2010-11/ DSII/111 Dated: the 21-3-2011

Copy to: -

1. The Pr. Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in the Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.
2. The Excise Commissioner, L-Block,Vikas Bhawan, New Delhi.
3. Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi.
4. The Additional Secretary (L&J), GNCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
5. Web site.
6. Guard file.

(ARVIND JAIN)
Deputy Secretary-II (Finance)

दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व–1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट,नई दिल्ली–110 002.

सं0फा0 10(12)/वि0(राज0–1)/2010–11 दिनांकः

## अधिसूचना

सं0फा0 10(12)/वि0(राज0–1)/2010–11 :–दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009(2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ | 1. | (1) | इन नियमों को दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियमावली, 2011 कहा जाये। |
| | | (2) | ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे। |
| नियम 2 का संशोधन | 2. | | दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 (इसके पश्चात् "मूल नियमावली" के रूप में संदर्भित) के नियम 2 में उपनियम (17) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम (17क) सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–<br><br>"(17क) गेस्ट हाउस का अर्थ पर्यटन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित गेस्ट हाउस से है;" |
| नियम 32 का संशोधन | 3. | | मूल नियमावली के नियम 32 के उपनियम (1) पर क्रम संख्या 22 एवं 23 के कॉलम 3 में "होटल" शब्द के पश्चात् तथा "निवासी" शब्द से पहले "या गेस्ट हाउस" शब्दों को दोनों स्थानों पर सन्निविष्ट किया जायेगा। |
| नियम 51 का संशोधन | 4. | | मूल नियमावली के नियम 51 के उपनियम 10 में खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगाः–<br><br>"होटलों के मामले में प्रपत्र एल–15 तथा एल–16 में लाइसेंस देने के लिये पर्यटन विभाग, भारत सरकार से प्रमाण पत्र तथा गेस्ट हाऊसों के मामले में प्रपत्र एल–15 में लाइसेंस देने के लिये पर्यटन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्रमाण पत्र ।" |
| नियम 66 का संशोधन | 5. | (1) | मूल नियमावली के नियम 66 के उपनियम 9 में "होटल" शब्द के पश्चात् तथा "निवासियों" शब्दों से पहले "या गेस्ट हाऊस" शब्दों को सन्निविष्ट किया जायेगा |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (2) | मूल नियमावली के नियम 66 के उपनियम (9) के खंड (ग) में अंत में आये "भारत सरकार" शब्द के पश्चात् "होटलों के मामलें में तथा गेस्ट हाउसों के मामले में पर्यटन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्रमाण पत्र" शब्दों को जोड़ा जायेगा। |

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

( अरविन्द जैन )
उप सचिव–II (वित्त)

सं0फा010(12)/वि0(राज0–1)/2010–11/ 5912–5911 दिनांकः 21-3-2011

निम्न को अग्रसारितः–

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित, दिल्ली राजपत्र (भाग–4) असाधारण में आज की तिथि में प्रकाशन हेतु।
2. आबकारी आयुक्त, एल–ब्लाक, विकास भवन, नई दिल्ली।
3. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. अतिरिक्त सचिव, (विधि एवं न्याय) दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली
5. वेबसाइट।
6. गार्ड फाईल ।

( अरविन्द जैन )
उप सचिव–II (वित्त)

( TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE-EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No.F.14(1)/LA-2011/ulaw/91 Dated 28th the March, 2011

**NOTIFICATION**

No.F.14(1)/LA-2011/ulaw/91 .- The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on 25th March, 2011 and is hereby published for general information:-

**"THE DELHI VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2011**
**(DELHI ACT 03 OF 2011)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 21st March, 2011)

[25th March, 2011]

An Act further to amend the Delhi Value Added Tax Act, 2004

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement.-** (1) This Act may be called the Delhi Value Added Tax (Amendment) Act, 2011.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. **Amendment of section 74.-** In the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), in section 74, in sub-section (10), for the word "six", the word "seven" shall be substituted."

28/03/11
**Tarun Sahrawat**
**Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)**

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग – IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
8 वॉ तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली –110002

दिनांक 28 मार्च, 2011

सं0 फा0 14(1)/एलए–2011/llaw/91

अधिसूचना

सं0 फा0 14(1)/एलए–2011/llaw/91 – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप–राज्यपाल की सहमति दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्राप्त कर ली है और इसके द्वारा जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :–

"दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2011
(2011 का दिल्ली अधिनियम 03)

(21 मार्च, 2011 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[25 मार्च, 2011]

दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2004 को पुनः संशोधित करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ .– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2011 है ।
(2) इसका विस्तार समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर है ।
(3) यह इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा ।

2. धारा 74 का संशोधन .– दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 74 की उप–धारा (10) में आए शब्द "छः" के स्थान पर शब्द "सात" प्रतिस्थापित किया जायेगा ।"

तरुन सहरावत

(तरून सहरावत)
अतिरिक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No.3(51)/Fin.(Rev-I)/2010-11/1254/12 Dated : the April 1, 2011

## NOTIFICATION

Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is expedient in the interest of general public so to do.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following amendments in the Schedules appended to the said Act, namely :-

## AMENDMENTS

1. In the First Schedule appended to the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), hereinafter referred to as the "principal Act", -

(a) for the commodity at Sl. No.47, the following shall be substituted, namely: -

"47. Khandsari and sugar including imported sugar in all forms.";

(b) for the commodity at Sl. No. 48, the following commodity shall be substituted, namely:-

"48. Textile as described in the First Schedule to the Additional Duty on Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 before its omission by the Govt. of India to give effect to section 75 of the Finance Bill, 2011 but not including –

(i) bed-sheets, pillow covers and other made ups covered by HSN entry nos. 63.01, 63.02, 63.03, 63.04 ,63.05 and 63.06.

(ii) imported varieties of textiles.

(iii) (a) industrial textiles such as canvass belt, filter cloth etc.

(b) furnishings other than handloom furnishings.

(c) suitings.";

(c) the commodity mentioned at Sl. No.49 shall be omitted;

(d) at Sl. No.74, the following commodity shall be inserted, namely: -

"74. Kerosene stoves, lanterns and petromax and their spares." and

(e) after the commodity at Sl. No.79, the following commodities shall be added, namely: -

"80. Bicycles having MRP upto Rs.3500/-."and
"81. Adult diapers."

2. In the Third Schedule appended to the principal Act, -

(a) for the commodity mentioned at Sl. No.12, the following commodity shall be substituted, namely: -

"12. Bicycles having MRP above Rs.3500/-, tricycles, cycle rickshaws and parts including tyres and tubes thereof.";

(b) the commodity mentioned at sub-entry (a) of Sl. No.85 shall be omitted;

(c) for the commodity mentioned at Sl. No.114, the following commodities shall be substituted, namely: -

"114 (i) Bed-sheets, pillow covers and other made ups covered by HSN entry nos. 63.01, 63.02, 63.03, 63.04 ,63.05 and 63.06.

(ii) (a) Industrial textiles such as canvass belt, filter cloth etc.

(b) Furnishings other than handloom furnishings.

(c) Suitings." and

(d) the commodities mentioned at Sl. No.189 shall be omitted.

This notification shall come into force with immediate effect except in case of the amendments at 1(b) and 2(c), which shall come into force with effect from the date of notification of the Finance Bill, 2011 by the Government of India.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

**(V.K. GUPTA)**
**ADDITIONAL SECRETARY (FINANCE)**

No.3(51)/Fin.(Rev-I)/2010-11/1258/12 Dated : 01/4/11

Copy forwarded for information:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV (Extra Ordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Raj Niwas, Delhi.
3. The Principal Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Secretary to Finance Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi .
6. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Sectt., Delhi.

7. The Commissioner, Value Added Tax, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P.Estate, New Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Registrar, Delhi Value Added Tax Appellate Tribunal, Vyapar Bhawan, I.P.Estate, New Delhi.
11. VAT Officer (Policy), Department of Trade and Taxes, Government of NCT of Delhi, Vyapar Bhawan, New Delhi.
12. Guard File.
13. Website.

**(V.K. GUPTA)**
**ADDITIONAL SECRETARY (FINANCE)**

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व–1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–110 002.

सं0फा0 3(51)/वित्त (राज–1)/2010–11/DSHJ 54/12 दिनांक: 01/4/11

अधिसूचना

जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल का अभिमत है कि जनसाधारण के हित में ऐसा करना समीचीन है।

अतः अब दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

1. दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3), इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" के रूप में संदर्भित के साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में, :–

(क) क्रम संख्या 47 पर आई वस्तु के स्थान पर निम्नलिखित वस्तु प्रतिस्थापित्त की जाएगी, अर्थात् :–
"47 सभी प्रकार की आयातित चीनी सहित खांडसारी एवं चीनी।"

(ख) क्रम संख्या 48 पर आई वस्तु के स्थान पर निम्नलिखित वस्तु प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"48 वित्त विधेयक, 2011 की धारा 75 को प्रभावी करने के लिये भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 के साथ संलग्न प्रथम अनुसूची को विलोपन करने से पूर्व इसमें यथावर्णित टेक्सटाइल, लेकिन निम्न शामिल नहीं :–

(i) बैडशीट, तकिए के खोल और अन्य निर्मित वस्त्र जोकि एच एस एन प्रविष्टि संख्या 63.01, 63.02, 63.03, 63.04, 63.05 एवं 63.06 के अन्तर्गत आते है।;

(ii) वस्त्रों की आयातित किस्में;

(iii) (क) औद्योगिक वस्त्र जैसे केनवॉस बेल्ट फिल्टर क्लॉथ आदि;
(ख) हथकरघा फर्निशिंग के अलावा फर्निशिंग ;
(ग) सूटिंग";

(ग) क्रम संख्या 49 पर उल्लिखित वस्तु हटाई जाएगी;

(घ) क्रम संख्या 74 पर निम्नलिखित वस्तु सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :–
"74 केरोसीन स्टोव, लैटर्न और पेट्रोमैक्स और उनके पुर्जे", और

(ङ) क्रम संख्या 79 पर आई वस्तु के उपरांत निम्नलिखित वस्तुएं जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :–

"80 3500/–रुपये तक के अधिकतम खुदरा मूल्य वाली बाइसाइकिल" और

"81 वयस्क डॉयपर्स"

2. मूल अधिनियम के साथ संलग्न तृतीय अनुसूची में :–

(क) क्रम सं0 12 पर उल्लिखित वस्तु के स्थान पर निम्नलिखित वस्तु प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"12 3500/—रुपये से अधिक अधिकतम खुदरा मूल्य वाले बाइसाइकिल, ट्राइसाइकिल, साइकिल रिक्शा और इनके टायर एवं ट्यूब सहित पुर्जे"

(ख) क्रम संख्या 85 की उप–प्रविष्टि (क) के सामने उल्लिखित वस्तु हटाई जाएगी।

(ग) क्रम सं0 114 पर उल्लिखित वस्तु के स्थान पर निम्नलिखित वस्तुएं प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"114 (i) बैडशीट तकिए के खोल और अन्य निर्मित वस्त्र जोकि एचएसएन प्रविष्टि संख्या 63.01, 63.02, 63.03, 63.04, 63.05 एवं 63.06 के अन्तर्गत आते हैं ।

(ii) (क) औद्योगिक वस्त्र जैसे कनवास बेल्ट फिल्टर क्लॉथ आदि;
(ख) हथकरघा फर्निशिंग के अलावा अन्य फर्निशिंग;
(ग) सूटिंग"

(घ) क्रम संख्या 189 के सामने उल्लिखित वस्तुएं हटाई जाएंगी।

क्रमांक 1 (ख) तथा 2 (ग) में संशोधन के मामले में जो भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक, 2011 की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे, को छोड़कर यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(वी0के0 गुप्ता)
अतिरिक्त सचिव (वित्त)

सं0फा0 3(51)/वित्त (राज–1)/2010–11/

दिनांक: 04/4/11

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :–

1. प्रधान सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग–चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
4. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
5. सचिव, वित्र मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. नि0स0, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
7. आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
8. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
10. पंजीयक, मूल्य संवर्धित कर अपीलीय न्यायाधिकरण व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
11. मूल्य संवर्धित कर अधिकारी (नीति), मूल्य संवर्धित कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, व्यापार भवन, नई दिल्ली।
12. गार्ड फाईल ।
13. वेबसाइट।

(वी0के0 गुप्ता)
अतिरिक्त सचिव (वित्त)

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P.ESTATE: NEW DELHI-110002

No.F.3(01)/Fin.(Rev-I)/2011-12/DS II/138 Dated the 7.4.2011

## NOTIFICATION

No.F.3(01)/Fin.(Rev-I)/2011-12 .- In exercise of the powers conferred by section 102 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following rules further to amend the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, namely:-

## RULES

1. Short title and commencement . – (1) These rules may be called the Delhi Value Added Tax (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Delhi Gazette.

2. **Amendment of Form DVAT-16.-** In the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, in Form DVAT-16 .-

(a) after the row "R5.5" and before the row "R5.6", the following sub-row shall be inserted namely:-

"R5.5(1) works contract taxable @ 5%";

(b) after the row "R6.2(6)" and before the row "R6.2(7)", the following sub-row shall be inserted, namely:-

"R6.2(6)(1) works contract taxable @ 5%".

By order and in the name of
the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

**(ARVIND JAIN)**
**Deputy Secretary-II (Finance)**

No.F.3(01)/Fin.(Rev-I)/2011-12/DSII/138 Dated : 7-4-2011

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi in duplicate with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
3. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Commissioner, Value Added Tax, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi .
7. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Registrar, Delhi Value Added Tax Appellate Tribunal, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
11. VAT Officer (Policy), Department of Trade and Taxes, Government of NCT of Delhi, Vyapar Bhawan, New Delhi.
12. Guard File.
13. Website.

**(ARVIND JAIN)**
**Deputy Secretary-II (Finance)**

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व–1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–110 002.

सं0फा0: 3(01)/वित्त (राज–1)/2011–12 दिनांक:

## अधिसूचना

सं0फा0: 3(01)/वित्त (राज–1)/2011–12/ :– दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 में आगे संशोधन के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

## नियमावली

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (1) इन नियमों को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) नियमावली, 2011 कहा जा सकेगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **प्रपत्र डी वैट–16 में संशोधन**— दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के प्रपत्र डी वैट–16 में:–

(क) पंक्ति "आर 5.5" के पश्चात् तथा पंक्ति "आर 5.6", से पहले निम्नलिखित उप–पंक्ति सन्निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :–

"आर 5.5 (1) कार्य संविदा कर योग्य 5प्रतिशत की दर से";

(ख) पंक्ति "आर 6.2 (6)" के पश्चात् तथा पंक्ति "आर 6.2 (7)", से पहले निम्नलिखित उप–पंक्ति सन्निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :–

"आर 6.2 (6)(1) कार्य संविदा कर योग्य 5प्रतिशत की दर से";

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(अरविन्द जैन)
उप–सचिव–II (वित्त)

सं0फा0: 3(01)/वित्त (राज–1)/2011–12/ डीएस II/138 दिनांक: 7-4-2011

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :–

1. प्रधान सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग–चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
4. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
5. आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
6. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली
7. नि0स0, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
8. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।

9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
10. पंजीयक, मूल्य संवर्धित कर अपीलीय न्यायाधिकरण व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
11. मूल्य संवर्धित कर अधिकारी (नीति), मूल्य संवर्धित कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, व्यापार भवन, नई दिल्ली।
12. गार्ड फाईल ।
13. वेबसाइट।

(अरविन्द जैन)
उप–सचिव–II (वित्त)
दूरभाष संख्या : 011–23392472

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE PART IV – XTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REV-I) DEPARTMENT
DELHI SECRETARIT, I.P. ESTATE , NEW DELHI – 110002.

No.F.10(8)/Fin(Rev-I)/2010-11/DS-II/249 Dated: the 07/06/2011.

NOTIFICATION

No.F.10 (8)/Fin(Rev-I)/2010-11/ .- In exercise of the powers conferred by section 81 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules to further amend the Delhi Excise Rules, 2010, namely:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| Short title and commencement .- | 1. | (1) | These rules may be called the Delhi Excise (Second Amendment) Rules, 2011 |
| | | (2) | They shall come into force with effect from 1st July, 2011. |
| Insertion of new Chapter-X | 2 | | In the Delhi Excise Rules,2010, after Chapter-IX, the following Chapter comprising of rules 152,153 and 154 shall be inserted, namely:- |

"CHAPTER-X
Fiscal Measures

152. **Rate of Duty** . – Duty on all excisable articles shall be ad-valorem on wholesale price at the following rates, namely:-

(1) **Indian Liquor and Foreign Liquor**

(i) **Indian Liquor (Whisky, Rum, Gin, Vodka, Brandy)-**

| Whole sale price (WSP) slab | Wholesale price(WSP) per Quarts of 750 ml (in Rupees) | Duty @ of wholesale price |
|---|---|---|
| 1 | Up to 24 | 250 per cent |
| 2 | Above 24 to 50 | Duty for maximum WSP in slab 1 + 170 percent of amount by which WSP exceeds Rs.24. |
| 3 | Above 50 to 250 | Duty for maximum WSP in slab 2 +80 percent of amount by which WSP exceeds Rs.50 . |
| 4 | Above 250 to 750 | Duty for maximum WSP in slab 3 + 65 percent of amount by which WSP exceeds Rs.250. |
| 5 | Above 750 | Duty for maximum WSP in slab 4 +30 percent of amount by which WSP exceeds Rs.750. |

(ii) **Indian Wine and Liqueur -**

| Whole sale price (WSP) slab | Wholesale price (WSP) per Quarts of 750 ml (in Rupees) | Duty @ of wholesale price |
|---|---|---|
| 1 | Up to 100 | 65 per cent |
| 2 | Above 100 to 250 | Duty for maximum WSP in slab 1+ 40 percent of amount by which WSP exceeds Rs.100. |
| 3 | Above 250 | Duty for maximum WSP in slab 2+ 30 percent of amount by which WSP exceeds Rs.250. |

**(iii) Indian Beer, Cider and Alcopop -**

| S.No. | Category | Duty @ of wholesale price |
|---|---|---|
| 1. | Beer, Cider and Alcopop containing 5 percent or less alcohol v/v having Maximum Retail Price(MRP) up to Rs.100 per quarts of 650 ml | 110 percent |
| 2. | Beer, Cider and Alcopop containing more than 5 percent alcohol v/v but not exceeding 8 percent alcohol having Maximum Retail Price(MRP) up to Rs.100 per quarts of 650 ml | 120 percent |
| 3. | Beer having Maximum Retail Price (MRP) more than Rs.100 per quarts of 650 ml. | 120 percent |

**(iv) Foreign Liquor (Whisky, Rum, Vodka, Gin, Brandy) -**

| Whole sale price(WSP) slab | Wholesale price (WSP) per Quarts of 750 ml (in Rupees) | Duty @ of wholesale price |
|---|---|---|
| 1 | Up to 1000 | 85 per cent |
| 2 | Above 1000 | Duty for maximum WSP in slab 1 + 50 percent of amount by which WSP exceeds Rs.1000. |

**(v) Foreign Liquor ( Wine, Liqueur, Beer and Cider) -**

| Whole sale price(WSP) slab | Wholesale price (WSP) per Quarts of 750 ml (in Rupees) | Duty @ of wholesale price |
|---|---|---|
| 1 | Up to 1000 | 65 per cent |
| 2 | Above 1000 | Duty for maximum WSP in slab 1 + 50 percent of amount by which WSP exceeds Rs.1000. |

Provided that the amount of duty payable shall be subject to the provisions of rule 54 of the Delhi Excise Rules, 2010:

Provided further that the duty payable in respect of packings other than quarts i.e. 750 ml/700ml/650 ml as applicable, shall be levied proportionately:

(2) **Country Liquor** - Duty @ 200% of Whole Sale Price.

(3) **Spirituous Preparations, including essence but other than Medicinal and Toilet preparations** - Duty @ 20% of Whole Sale Price.

(4) **Bhang** - Duty @ Rs.5/- per Kilogram.

153. **Rate of duty for consumption "on" the premises and for sale through Canteen Stores Department (CSD).**- (1) For consumption "on" the premises of Licences in forms L-17, L-18, L-19, L-20, L-28, L-29, an additional duty at the rate of twenty percent of whole sale price over and above the duty prescribed for Indian Liquor as in Clauses (i), (ii) and (iii) of sub-rule (1) of rule 152 shall be levied subject to the maximum rates as set forth in the Schedule under section 27 of the Act;

(2) For consumption "on" the premises of Licences in forms L-15, L-16, L-21, an additional duty at the rate of thirty percent of whole sale price over and above the duty prescribed for Indian Liquor as in Clauses (i), (ii) and (iii) of sub-rule (1) of rule 152 shall be levied subject to the maximum rates as set forth in the Schedule under section 27 of the Act;

(3) For sale of Indian Liquor and Foreign Liquor through the Canteen Stores Department (holders of licence in form L-23/L-23F), the rate of duty shall be fifty percent of the rate of duty prescribed in Clauses-(i), (ii) and (iii) and seventy five percent of the rate of duty mentioned in Clauses-(iv) and (v) of sub rule (1) of Rule 152.

154. **Rates of fee .-** The following shall be the rates of licence fee, label registration fee and other fees leviable in respect of excisable articles for various categories of Licences –

(1) **Licence Fee for wholesale vend of Indian Liquor, wholesale vend of Foreign Liquor and wholesale vend of Country Liquor -**

(a) The license fee for the licenses in form L-1, L-1F, L-3, L-31, L-32 and L-33 shall be prescribed in the terms and conditions approved by the Government for each year as provided under rule 34(1) of the Delhi Excise Rules, 2010.

(b) The Licence fee for each additional sourcing for the approved brands of Indian Liquor shall be Rs.5 Lacs per brand in addition to the prescribed Licence fee.

(2) **Licence Fees for Other Category of Licences -**

| Sl. Nos. | Reference of Rule | Forms of Licence | Description of Licences | Annual Licence fee (in Rs) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 32(1) | L-2 | Wholesale vend of Draught Beer | 50,000 |
| 2. | 32(1) | L-4 | Wholesale vend of Rectified spirit | 25,000 |
| 3. | 32(1) | L-5 | Wholesale vend of Denatured spirit including special denatured spirit. | 25,000 |
| 4. | 32(1) | L-6 | Retail vend of Indian Liquor in public sector | 2,50,000 |
| 5. | 32(1) | L-6FG | Retail vend of Foreign Liquor in public sector to the holders of licence in form L-6 . | Ten percent of licence fee applicable for L-6 licence |
| 6. | 32(1) | L-6FE | Retail vend of Foreign Liquor in public sector. | 2,00,000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. | 32(1) | L-7 | Retail vend of Indian Liquor in private sector | 8,00,000 |
| 8. | 32(1) | L-7FG | Retail vend of Foreign Liquor in private sector to the holders of licence in form L-7. | Ten percent of licence fee applicable for L-7 licence |
| 9. | 32(1) | L-7FE | Retail vend of Foreign Liquor in private sector | 6,00,000 |
| 10. | 32(1) | L-8 | Retail vend of Country Liquor in public sector | 1,00,000 |
| 11. | 32(1) | L-9 | Retail vend of Indian Liquor to holders of licence in form L-1. | 10,00,000 |
| 12. | 32(1) | L-10 | Retail vend of Indian Liquor and Foreign Liquor in Shopping Malls | 6,00,000 |
| 13. | 32(1) | L-11 | Retail vend of Beer, manufactured by Microbrewery. | 2,50,000 |
| 14. | 32(1) | L-12 | Retail vend of Beer and Wine in Departmental Stores. | 2,00,000 |
| 15. | 32(1) | L-12F | Retail vend of Foreign Beer and Wine in Departmental Stores to the holders of licence in form L-12. | Ten percent of licence fee applicable for L-12 licence |
| 16. | 32(1) | L-14 | Retail vend of economy Indian Liquor and Beer to holders of licence in form L-8 | 2,00,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | 32(1) | L-15 | Service of Indian Liquor in a hotel or a guest house to residents in their rooms | <u>Hotels and Guest Houses having rooms</u> | <u>Licence Fee (in Rs.)</u> |
| | | | | Up to 25 | 75,000 |
| | | | | 26 to 50 | 1,00,000 |
| | | | | 51 to 100 | 2,00,000 |
| | | | | 101 to 200 | 3,00,000 |
| | | | | 201 to 300 | 4,00,000 |
| | | | | 301 to 400 | 5,00,000 |
| | | | | 401 and above | 6,00,000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. | 32(1) | L-15F | Service of Foreign Liquor in a hotel or a guest house to residents in their rooms to the holders of licence in form L-15. | Ten percent of licence fee applicable for L-15 licence |

<table>
<tr><td rowspan="8">19.</td><td rowspan="8">32(1)</td><td rowspan="8">L-16</td><td rowspan="8">Service of Indian Liquor in a bar/restaurant attached to a hotel</td><td>Category</td><td>Upto 75 covers (in Rs.)</td><td>Above 75 covers (in Rs.)</td></tr>
<tr><td>Budget Hotels</td><td>4,00,000</td><td>5,50,000</td></tr>
<tr><td>1 Star</td><td>4,25,000</td><td>6,25,000</td></tr>
<tr><td>2 Star</td><td>5,25,000</td><td>7,25,000</td></tr>
<tr><td>3 Star</td><td>5,75,000</td><td>8,00,000</td></tr>
<tr><td>4 Star</td><td>6,25,000</td><td>8,50,000</td></tr>
<tr><td>5 Star</td><td>7,50,000</td><td>10,50,000</td></tr>
<tr><td>Above 5 star</td><td>9,00,000</td><td>12,00,000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">Fee for service of liquor for round the clock in a restaurant attached to hotel of 5 Star and above category shall be twice the amount of fee applicable L-16 licence.</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>32 (1)</td><td>L-16F</td><td>Service of Foreign Liquor in a bar/restaurant attached to a hotel to the holders of licence in form L-16.</td><td colspan="3">Ten percent of Licence fee applicable for L-16F licence</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>32(1)</td><td>L-17</td><td>Service of Indian Liquor in independent restaurant</td><td>having seat covers:<br>up to 50<br>51 to 100<br>101 to 200<br>201 and above</td><td colspan="2">Licence Fee<br>4,75,000<br>6,75,000<br>9,00,000<br>11,50,000</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>32 (1)</td><td>L-17F</td><td>Service of Foreign Liquor in independent restaurant to the holders of licence in form L-17.</td><td colspan="3">Ten percent of licence fee applicable for L-17 licence</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. | 32(1) | L-18 | Service of Indian wine, beer and alcopop in independent restaurant | Having seat covers | Licence Fee |
| | | | | Upto 50 | 2,50,000 |
| | | | | 51-100 | 3,50,000 |
| | | | | 101-200 | 4,50,000 |
| | | | | 201 and above | 5,50,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. | 32(1) | L-18F | Service of Foreign wine, beer and alcopop in independent restaurant to the holders of licence in form L-18. | Ten percent of licence fee applicable for L-18 licence | |
| 25. | 32(1) | L-19 | Round the clock service of Indian Liquor in independent restaurant located either in arrival or departure area of International Airport. | Having Seat Covers | |
| | | | | up to 50 | 9,50,000 |
| | | | | 51 to 100 | 13,50,000 |
| | | | | 101 to 200 | 18,00,000 |
| | | | | 201 and above | 23,00,000 |
| 26. | 32(1) | L-19F | Round the clock service of Foreign Liquor in independent restaurant located either in arrival or departure area of International Airport to the holders of licence in form L-19. | Ten percent of licence fee applicable for L-19 licence | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | 32(1) | L-20 | Service of Indian Liquor in a bar/dining car in a luxury train. | 1,00,000 | | |
| 28. | 32(1) | L-20F | Service of Foreign Liquor in a bar/dining car in a luxury train to the holders of licence in form L-20. | Ten percent of licence fee applicable for L-20 licence | | |
| 29. | 32(1) | L-21 | Round the clock service/sale of Indian Liquor in a bar attached to a hotel located either in arrival or departure area of International Airport | **Category** | **up to 75 covers** | **above 75 covers** |
| | | | | 4 star | 14,00,000 | 18,00,000 |
| | | | | 5 star and above | 15,00,000 | 20,00,000 |
| 30. | 32(1) | L-21F | Round the clock service/sale of Foreign Liquor in a bar attached to a hotel located either in arrival or departure area of International Airport to the holders of licence in form L-21 | Ten percent of licence fee applicable for L-21 licence | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. | 32(1) | L-22 | Retail vend of Indian Liquor in duty free shop for consumption "off" the premises located at departure Lounge of International Airport | | 2,50,000 |
| 32. | 32(1) | L-23 | Retail vend of Indian Liquor in military canteen | | NIL |
| 33. | 32(1) | L-23F | Retail vend of Foreign Liquor in military canteen to the holders of licence in form L-23. | | NIL |
| 34. | 32(1) | L-24 | Retail vend of Medicated Wine | | 1000 |
| 35. | 32 (1) | L-25 | Retail vend of Denatured Spirit including denatured Spirit | for possession limit up to 1000 BL | 2000 |
| | | | | for possession limit more than 1000 BL | 5000 |
| 36. | 32(1) | L-26 | Retail vend of Rectified Spirit | | 5000 |
| 37. | 32(1) | L-27 | Retail vend of Bhang | | 5000 |
| 38. | 32 (1) | L-28 | Service of Indian Liquor in a club | having membership:<br>(a) up to 800<br>(b) 801 to 1,500<br>( c ) More than 1,500 | <br><br>75,000<br>100,000<br>2,00,000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39. | 32(1) | L-28F | Service of Foreign Liquor in a club to the holders of licence in form L-28 | Ten percent of licence fee applicable for L-28 Licence |
| 40. | 32(1) | L-29 | Service of Indian Liquor at a club/mess whose membership is exclusively for Government servants, retired Government servants, including members of armed forces, serving or retired and such a club/mess is not run on commercial lines. | 7,500 |
| 41. | 32 (1) | L-29F | Service of Indian Liquor at a club/mess whose membership is exclusively for Government servants, retired Government servants, including member of armed forces, serving or retired and such a club/mess is not run on commercial lines to the holders of licence in form L-29. | Ten percent of licence fee applicable for L-29 Licence |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42. | 66(10), (11), (16), and (17) | | Additional area for the holders of licence in form L-16,L-16F, L-17, L-17F, L-18, L-18F, L-19, L-19F, L-21, L-21F, 28, L-28F, L-29, L-29F | | Additional seventy five percent of the regular licence fee for the corresponding licences. |
| 43. | 32(1) | L-30 | Licence for possession of liquor at home in excess of individual possession limit. | | 3,000 |
| 44. | 32(1) | L-34 | Licence for Warehouse for storage of denatured spirit | | 20,000 |
| 45. | 32(1) | L-35 | Licence for Warehouse for storage of rectified spirit | | 30,000 |
| 46. | 51(2) | | Additional storage space for holder of licences of retail vend of Indian Liquor, Foreign Liquor and Country Liquor. | | Ten percent of the corresponding licence fee per month. |
| 47. | 32 (1) | L-36 | Licence to a registered medical practitioner, chemist/druggist for sale of Intoxicating Spirituous Preparations. | | 5,000 |
| 48. | 32(1) and 66 (18) | L-37 | Licence for Hotel Management Institutes for keeping liquor for the purpose of training | | 25,000 |

(3) The '**label registration fee**' for the brands of Indian Liquor, Foreign Liquor and Country Liquor shall be prescribed in the terms and conditions approved by the Government for each year as provided under Sub-Rule (1) of Rule 34 of the Delhi Excise Rules, 2010.

(4) Other fees ( Permit/Pass/Import/Export)-

| Sl. Nos. | Rule | Form of Permit/ Pass | Description | Fee (in Rs) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | P-1 | Permit for Import of rectified spirit, denatured spirit and special denatured spirit | a) Rs.5/- per 20 bulk litre of rectified spirit.<br>b) Rs.2/- per bulk litre of denatured spirit and special denatured spirit. |
| 2. | 79(2) | P-2 | Permit for possession of denatured spirit exceeding five litres up to ten litres. | 100 |
| 3. | 81(1) | P-3 | Permit for possession of denatured spirit exceeding ten litres. | 500 |
| 4. | 81(4) | P-4 | Permit for possession of special denatured spirit in bulk quantity. | 2,000 |
| 5. | 77 | P-5 | Permit for possession of rectified spirit to educational institutions etc. | 250 |
| 6. | 78 | P-6 | Permit for possession of special denatured spirit by Industrial manufacturers | 50,000 |
| 7. | 126(2) | P-7 | Permit for possession of intoxicating spirituous preparations | 5000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. | 127 | P-8 | Permit for Import or transport of intoxicating spirituous preparations | Rs.1/- per litre |
| 9. | 19 | P-9 | Permit for Import of Indian Liquor and Country Liquor for troops. | 250 |
| 10. | 20(1) (c) | P-10 | Service of Indian Liquor and Foreign Liquor at a place other than the licensed premises | 5,000 |
| 11. | 44(1) | P-11 | Permit for liquor exhibitors. | 25,000 |
| 12. | 114 | P-12 | Permit for import, export or transport of bhang. | Rs.3 per kg. or part thereof |
| 13. | 44(2) | P-13 | Service of Indian Liquor and Foreign Liquor at a temporary place at hotel, club and restaurant. | 5,000 |
| 14. | 15 | P-14 | a) Fee for Import of Indian Liquor(other than economy) for holder of L-1 licence, excluding beer | Rs. 5.00 per litre |
| | | | b)Fee for Import of Indian Liquor having MRP upto Rs.120/- for holder of L-1 licence excluding beer | Rs.1.25 per litre |
| 15. | 94 | | Fee for opening of warehouse beyond prescribed hours or on dry days | Rs. 5,000/- per occasion |
| 16. | 138 and 143 | | Fee for filing Appeal, Review and Revision | Rs.500/- per occasion |

By order and in the name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

**(S.K. SAHA)**
**Deputy Secretary (Finance)**

No.F.10(8)/Fin(Rev-I)/2010-11/DS-II/267 Dated: the 07/06/ 2011.

Copy to:-

1. The Principal Secretary(GAD), Govt. of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette part-IV (extraordinary) in today's date.
2. The Commissioner (Excise), Govt. of NCT of Delhi, L-Block, Vikas Bhawan, New Delhi.
3. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Deputy Secretary (L & J), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
5. Web Site.
6. Guard File.

(S.K. SAHA)
**Deputy Secretary (Finance)**

(दिल्ली के असाधारण राजपत्र के भाग 4 में प्रकाशित किया जाये)
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**
**वित्त (राजस्व–1) विभाग**
**दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002**

सं.एफ.10(8)/वित्त(राज.–1)/2010–11/डी.फा.II/247 दिनांक07/06/2011

अधिसूचना

सं.एफ.10(8)/वित्त(राज.–1)/2010–11/ .–दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 81 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद् द्वारा दिल्ली आबकारी नियम, 2010 में और संशोधन करने के लिए निम्नांकित नियम बनाती है, अर्थात :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारंभ होने की तारीख | 1 | (1) | इन नियमों को दिल्ली आबकारी (द्वितीय संशोधन) नियम, 2011 कहा जायेगा। |
| | | (2) | ये नियम 1 जुलाई, 2011 से लागू होंगे। |
| नया अध्याय–10 शामिल किया जाना | 2 | | दिल्ली आबकारी नियम, 2010 में अध्याय–9 के बाद नियम 152, 153 और 154 से युक्त निम्नांकित अध्याय शामिल किया जाये, अर्थात् :– |

अध्याय–10

**वित्तीय उपाय**

नियम 152. **शुल्क की दर.** – आबकारी योग्य सभी वस्तुओं पर शुल्क थोक मूल्य पर निम्नलिखित दरों से मूल्यानुसार लगाया जाएगा:–

**(1) भारतीय शराब और विदेशी शराब**

**(i) भारतीय शराब (व्हिस्की, रम, जिन, वोदका, ब्रांडी)–**

| थोक बिक्री मूल्य (थो.बि.मू.) वर्ग | थोक बिक्री मूल्य (थो.बि.मू.) प्रति 750 मि.ली. क्वार्ट (रुपये में) | थोक बिक्री मूल्य पर शुल्क की दर |
|---|---|---|
| 1 | 24 तक | 250 प्रतिशत |
| 2 | 24 से अधिक एवं 50 तक | वर्ग 1 में अधिकतम थो.बि.मू. के लिए लागू शुल्क + 24 रु. से अधिक थो.बि.मू. का 170 प्रतिशत. |
| 3 | 50 से अधिक एवं 250 तक | वर्ग 2 में अधिकतम थो.बि.मू. के लिए लागू शुल्क + 50 रु. से अधिक थो.बि.मू. का 80 प्रतिशत. |
| 4 | 250 से अधिक एवं 750 तक | वर्ग 3 में अधिकतम थो.बि.मू. के लिए लागू शुल्क + 250 रु. से अधिक थो.बि.मू. का 65 प्रतिशत. |
| 5 | 750 से ऊपर | वर्ग 4 में अधिकतम थो.बि.मू. के लिए लागू शुल्क + 750 रु. से अधिक थो.बि.मू. का 30 प्रतिशत |

(ii) भारतीय वाइन और लिकियर–

| थोक बिक्री मूल्य (थो.बि.मू.) वर्ग | थोक बिक्री मूल्य (थो.बि.मू.) प्रति 750 मि.ली. क्वार्ट (रुपये में) | थोक बिक्री मूल्य पर शुल्क की दर |
|---|---|---|
| 1 | 100 तक | 65 प्रतिशत |
| 2 | 100 से अधिक एवं 250 तक | वर्ग 1 में अधिकतम थो.बि.मू. के लिए लागू शुल्क + 100 रु. से अधिक थो.बि.मू. का 40 प्रतिशत |
| 3 | 250 से ऊपर | वर्ग 2 में अधिकतम थो.बि.मू. के लिए लागू शुल्क + 250 रु. से अधिक थो.बि.मू. का 30 प्रतिशत |

(iii) भारतीय बीअर, साइडर और एल्कोपॉप–

| क्रमांक | श्रेणी | थोक बिक्री मूल्य पर शुल्क की दर |
|---|---|---|
| 1 | 5 प्रतिशत या कम अल्कोहल वी/वी वाली बीअर, साइडर और एल्कोपॉप के मामले में 100 रुपये तक के अधिकतम खुदरा मूल्य (अ.खु.मू.) के 650 मि.ली. के प्रति क्वार्ट पर | 110 प्रतिशत |
| 2 | 5 प्रतिशत से अधिक अल्कोहल वी/वी वाली, किन्तु 8 प्रतिशत से अधिक अल्कोहल वाली नहीं, बीअर, साइडर और एल्कोपॉप के मामले में 100 रुपये तक के अधिकतम खुदरा मूल्य (अ.खु.मू) के 650 मि.ली. के प्रति क्वार्ट पर | 120 प्रतिशत |
| 3 | बीयर के मामले में 100 रुपये अधिकतम खुदरा मूल्य (अ.खु.मू.) से अधिक के 650 मि.ली. के प्रति क्वार्ट पर | 120 प्रतिशत |

(iv) विदेशी शराब (व्हिस्की, रम, जिन, वोदका, ब्रांडी)–

| थोक बिक्री मूल्य (थो.बि.मू.) वर्ग | थोक बिक्री मूल्य (थो.बि.मू.) प्रति 750 मि.ली. क्वार्ट (रुपये में) | थोक बिक्री मूल्य पर शुल्क की दर |
|---|---|---|
| 1 | 1000 तक | 85 प्रतिशत |
| 2 | 1000 से ऊपर | वर्ग 1 में अधिकतम थो.बि.मू. के लिए लागू शुल्क + 1000 रु. से अधिक थो.बि.मू. का 50 प्रतिशत |

(v) विदेशी शराब (वाइन, लिकियर, बीयर और साइडर)–

| थोक बिक्री मूल्य (थो.बि.मू.) वर्ग | थोक बिक्री मूल्य (थो.बि.मू.) प्रति 750 मि.ली. क्वार्ट (रुपये में) | थोक बिक्री मूल्य पर शुल्क की दर |
|---|---|---|
| 1 | 1000 तक | 65 प्रतिशत |
| 2 | 1000 से ऊपर | वर्ग 1 में अधिकतम थो.बि.मू. के लिए लागू शुल्क + 1000 रु. से अधिक थो.बि.मू. का 50 प्रतिशत |

परन्तु, देय शुल्क की राशि दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 54 के प्रावधानों के अधीन होगी;

परन्तु, यह और भी कि 750 मि.ली./700 मि.ली./650 मि.ली., जो भी लागू हो, के क्वार्ट से भिन्न पैकेजिंग के संदर्भ में देय शुल्क अनुपात में लगाया जायेगा।

(2) **देशी शराब** – थोक बिक्री मूल्य पर 200 प्रतिशत की दर से शुल्क।

**(5) चिकित्सीय और प्रसाधन प्रीपेरेशन्स के सिवाय एसेन्स सहित स्पिरिट युक्त प्रीपेरेशन्स** – थोक बिक्री मूल्य पर 20 प्रतिशत की दर से शुल्क।

(6) भांग – रुपये 5/– प्रति किलोग्राम की दर से शुल्क।

153. **परिसरों "पर" उपभोग और कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) के माध्यम से बिक्री के लिए शुल्क की दर**–(1) एल–17, एल–18, एल–19, एल–20, एल–28, एल–29 प्ररूपों में लाइसेंस धारकों के परिसरों "पर" उपभोग के लिए थोक बिक्री मूल्य पर नियम 152 के उप–नियम (1) के खंड (i), (ii) और (iii) में निर्धारित शुल्क की दर के ऊपर और अलावा 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त शुल्क लगाया जायेगा, परन्तु उसकी अधिकतम दर अधिनियम की धारा 27 में वर्णित अधिकतम दरों के अधीन होगी;

(2) एल–15, एल–16 और एल–21 प्ररूपों में लाइसेंस धारकों के परिसरों "पर" उपभोग के लिए थोक बिक्री मूल्य पर नियम 152 के उप–नियम (1) के खंड (i), (ii) और (iii) में निर्धारित शुल्क की दर के ऊपर और अलावा 30 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त शुल्क लगाया जायेगा, परन्तु उसकी अधिकतम दर अधिनियम की धारा 27 में वर्णित अधिकतम दरों के अधीन होगी;

(3) कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) के ज़रिए भारतीय शराब और विदेशी शराब की बिक्री (प्ररूप एल–23/एल–23एफ में लाइसेंस धारकों) पर लगाए जाने वाले शुल्क की दर नियम 152 के उपनियम (1) के खंड (i), (ii) और (iii) में निर्धारित शुल्क का पचास प्रतिशत और नियम 152 के उपनियम (1) के खंड (iv) और (v) में निर्धारित शुल्क का पचहत्तर प्रतिशत होगी।

154 **फीस की दरें**– विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंसों के अंतर्गत आबकारी शुल्क लगाए जाने योग्य वस्तुओं पर लाइसेंस फीस, लेबल पंजीकरण फीस, और अन्य फीस की दरें इस प्रकार होंगी–

(1) **भारतीय शराब की थोक दुकान, विदेशी शराब की थोक दुकान और देशी शराब की थोक दुकान के लिए लाइसेंस फीस–**

(क) प्ररूप एल–1, एल–1एफ, एल–3, एल–31, एल–32 और एल–33 में लाइसेंसों के लिए लाइसेंस फीस दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 34(1) के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत नियमों एवं शर्तों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(ख) भारतीय शराब के अनुमोदित ब्रैन्डों के मामले में प्रत्येक अतिरिक्त सोर्सिंग के लिए लाइसेंस फीस निर्धारित लाइसेंस फीस के अतिरिक्त 5 लाख रुपये प्रति ब्रांड होगी।

**(2) लाइसेंसों की अन्य श्रेणियों के लिए लाइसेंस फीस–**

| क्र.सं. | नियम | लाइसेंस का प्ररूप | लाइसेंसों का विवरण | लाइसेंस फीस प्रति वर्ष (रु. में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32(1) | एल–2 | ड्रॉफ्ट बीयर की थोक दुकान। | 50,000 |
| 2 | 32(1) | एल–4 | रेक्टिफाइड स्पिरिट की थोक दुकान। | 25,000 |
| 3 | 32(1) | एल–5 | विशेष डीनैचर्ड स्पिरिट सहित डीनैचर्ड स्पिरिट की थोक दुकान। | 25,000 |
| 4 | 32(1) | एल–6 | सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय शराब की खुदरा दुकान। | 2,50,000 |
| 5 | 32(1) | **एल–6एफजी** | एल–6 प्ररूप में लाइसेंस वाली सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी शराब की खुदरा दुकान। | एल–6 की लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत |
| 6 | 32(1) | **एल–6एफई** | सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी शराब की खुदरा दुकान। | 2,00,000 |
| 7 | 32(1) | एल–7 | निजी क्षेत्र में भारतीय शराब की खुदरा दुकान। | 8,00,000 |
| 8 | 32(1) | **एल–7एफजी** | एल–7 प्ररूप में लाइसेंस धारकों के लिए निजी क्षेत्र में विदेशी शराब की खुदरा दुकान। | एल–7 की लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत |
| 9 | 32(1) | **एल–7एफई** | निजी क्षेत्र में विदेशी शराब की खुदरा दुकान। | 6,00,000 |
| 10 | 32(1) | एल–8 | सार्वजनिक क्षेत्र में देशी शराब की खुदरा दुकान। | 1,00,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 32(1) | एल–9 | प्ररूप एल–1 में लाइसेंस धारकों के लिए भारतीय शराब की खुदरा दुकान। | | 10,00,000 |
| 12 | 32(1) | एल–10 | शॉपिंग मॉल्स में भारतीय शराब और विदेशी शराब की खुदरा दुकान। | | 6,00,000 |
| 13 | 32(1) | एल–11 | माइक्रोब्रुअरी द्वारा विनिर्मित बीअर की खुदरा दुकान। | | 2,50,000 |
| 14 | 32(1) | एल–12 | डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बीअर और वाइन की खुदरा दुकान। | | 2,00,000 |
| 15 | 32(1) | एल–12एफ | एल–12 प्ररूप में लाइसेंस धारकों के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स में विदेशी बीअर और वाइन की खुदरा दुकान। | एल–12 लाइसेंस की फीस का 10 प्रतिशत | |
| 16 | 32(1) | एल–14 | एल–8 प्ररूप में लाइसेंस धारकों के लिए इकोनमी भारतीय शराब और बीयर की खुदरा दुकान। | | 2,00,000 |
| 17 | 32(1) | एल–15 | किसी होटल या गेस्ट हाउस में ठहरे लोगों को उनके कमरों में भारतीय शराब परोसना। | निम्नांकित अनुसार कमरों वाले होटल और गेस्ट हाउस | |
| | | | | 25 तक | 75,000 |
| | | | | 26 से 50. | 1,00,000 |
| | | | | 51 से 100 | 2,00,000 |
| | | | | 101 से 200 | 3,00,000 |
| | | | | 201 से 300 | 4,00,000 |
| | | | | 301 से 400 | 5,00,000 |
| | | | | 401 और उससे अधिक | 6,00,000 |

<table>
<tr><td>18</td><td>32(1)</td><td>एल–15एफ</td><td>प्ररूप एल–15 लाइसेंस धारकों को किसी होटल या गेस्ट हाउस में ठहरे लोगों को उनके कमरों में विदेशी शराब परोसना।</td><td colspan="3">एल–15 के लाइसेंस फीस का दस प्रतिशत</td></tr>
<tr><td rowspan="8">19.</td><td rowspan="8">32(1)</td><td rowspan="8">एल–16</td><td rowspan="8">किसी होटल से संबद्ध बार/रेस्तरां में भारतीय शराब परोसना।</td><td>श्रेणी</td><td>75 कवर्स तक (रुपये)</td><td>75 कवर्स से ऊपर (रुपये)</td></tr>
<tr><td>बजट होटल</td><td>4,00,000</td><td>5,50,000</td></tr>
<tr><td>1 स्टार</td><td>4,25,000</td><td>6,25,000</td></tr>
<tr><td>2 स्टार</td><td>5,25,000</td><td>7,25,000</td></tr>
<tr><td>3 स्टार</td><td>5,75,000</td><td>8,00,000</td></tr>
<tr><td>4 स्टार</td><td>6,25,000</td><td>8,50,000</td></tr>
<tr><td>5 स्टार</td><td>7,50,000</td><td>10,50,000</td></tr>
<tr><td>5 स्टार से ऊपर</td><td>9,00,000</td><td>12,00,000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">किसी 5 सितारा होटल या उससे ऊपर की श्रेणी से संबद्ध रेस्तरां में चौबीसों घंटे शराब परोसने के लिए फीस एल–16 लाइसेंस फीस की दुगनी होगी।</td></tr>
<tr><td>20</td><td>32(1)</td><td>एल–16एफ</td><td>प्ररूप एल–16 में लाइसेंस धारकों को होटल से संबद्ध बार/रेस्तरां में विदेशी शराब परोसना।</td><td colspan="3">एल–16एफ की लाइसेंस फीस का दस प्रतिशत</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 32(1) | एल–17 | स्वतंत्र रेस्तरां में भारतीय शराब परोसना। | सीट कवर्स | लाइसेंस फीस |
| | | | | 50 तक | 4,75,000 |
| | | | | 51 से 100 | 6,75,000 |
| | | | | 101 से 200 | 9,00,000 |
| | | | | 201 और उससे ऊपर | 11,50,000 |
| 22 | 32(1) | **एल–17एफ** | एल–17 प्ररूप में लाइसेंस धारकों को स्वतंत्र रेस्तरां में विदेशी शराब परोसना। | एल–17 की लाइसेंस फीस का दस प्रतिशत | |
| 23 | 32(1) | एल–18 | स्वतंत्र रेस्तरां में भारतीय वाइन, बीअर और अल्कोपॉप परोसना। | सीट कवर्स | लाइसेंस फीस |
| | | | | 50 तक | 2,50,000 |
| | | | | 51 से 100 | 3,50,000 |
| | | | | 101 से 200 | 4,50,000 |
| | | | | 200 से ऊपर | 5,50,000 |
| 24 | 32(1) | **एल–18एफ** | एल–18 प्ररूप में लाइसेंस धारकों को स्वतंत्र रेस्तरां में विदेशी वाइन, बीअर और अल्कोपॉप परोसना। | एल–18 की लाइसेंस फीस का दस प्रतिशत | |
| 25 | 32(1) | एल–19 | अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगमन या प्रस्थान क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र रेस्तरां में चौबीसों घंटे भारतीय शराब परोसना। | सीट कवर्स | लाइसेंस फीस |
| | | | | 50 तक | 9,50,000 |
| | | | | 51 से 100 | 13,50,000 |
| | | | | 101 से 200 | 18,00,000 |
| | | | | 200 से ऊपर | 23,00,000 |

<table>
<tr><td>26</td><td>32(1)</td><td>एल–19एफ</td><td>प्ररूप एल–19 में लाइसेंसधारकों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगमन या प्रस्थान क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र रेस्तरां में चौबीसों घंटे विदेशी शराब परोसना।</td><td colspan="3">एल–19 की लाइसेंस फीस का दस प्रतिशत।</td></tr>
<tr><td>27</td><td>32(1)</td><td>एल–20</td><td>लग्जरी ट्रेन के बार/डाइनिंग कार में भारतीय शराब परोसना।</td><td colspan="3">1,00,000</td></tr>
<tr><td>28</td><td>32(1)</td><td>एल–20एफ</td><td>प्ररूप एल–20 के लाइसेंस धारकों को लग्जरी ट्रेन के बार/डाइनिंग कार में विदेशी शराब परोसना।</td><td colspan="3">एल–20 की लाइसेंस फीस का दस प्रतिशत</td></tr>
<tr><td rowspan="3">29</td><td rowspan="3">32(1)</td><td rowspan="3">एल–21</td><td rowspan="3">अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्थान या आगमन क्षेत्र में स्थित होटल से संबद्ध बार में भारतीय शराब की चौबीसों घंटे सर्विस/बिक्री।</td><td>श्रेणी</td><td>75 कवर्स तक</td><td>75 कवर्स से ऊपर</td></tr>
<tr><td>4 स्टार</td><td>14,00,000</td><td>18,00,000</td></tr>
<tr><td>5 स्टार और उससे ऊपर</td><td>15,00,000</td><td>20,00,000</td></tr>
<tr><td>30</td><td>32(1)</td><td>एल–21एफ</td><td>प्ररूप एल–21 के लाइसेंस धारकों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्थान या आगमन क्षेत्र में स्थित होटल से संबद्ध बार में विदेशी शराब की चौबीसों घंटे सर्विस/बिक्री।</td><td colspan="3">एल–21 की लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 32(1) | एल–22 | अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्थान क्षेत्र में स्थित शुल्क मुक्त दुकान परिसर में "बाहर" सेवन के लिए भारतीय शराब की खुदरा दुकान। | | 2,50,000 |
| 32 | 32(1) | एल–23 | मिलिटरी कैंटीन में भारतीय शराब की खुदरा दुकान। | | शून्य |
| 33 | 32(1) | **एल–23एफ** | प्ररूप–23 के लाइसेंस धारकों के लिए मिलिटरी कैंटीन में विदेशी शराब की खुदरा दुकान। | | शून्य |
| 34 | 32(1) | एल–24 | मेडिकेटिड वाइन की खुदरा दुकान। | | 1000 |
| 35 | 32(1) | एल–25 | स्पेशल डीनैचर्ड स्पिरिट सहित डीनैचर्ड स्पिरिट की खुदरा दुकान। | 1000बीएल तक धारण सीमा के लिए | 2000 |
| | | | | 1000बीएल से अधिक धारण सीमा के लिए | 5000 |
| 36 | 32(1) | एल–26 | रेक्टिफाइड स्पिरिट की खुदरा दुकान। | | 5000 |
| 37 | 32(1) | एल–27 | भांग की खुदरा दुकान। | | 5000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 32(1) | एल–28 | क्लब में भारतीय शराब परोसना। | सदस्य संख्या | |
| | | | | (क) 800 तक | 75,000 |
| | | | | (ख) 801से 1500 | 1,00,000 |
| | | | | (ग) 1,500 से अधिक | 2,00,000 |
| 39 | 32(1) | एल–28एफ | एल–28 प्ररूप के लाइसेंस धारकों को किसी क्लब में विदेशी शराब परोसना। | एल–28 की लाइसेंस फीस का दस प्रतिशत | |
| 40 | 32(1) | एल–29 | ऐसे क्लब/मैस में भारतीय शराब परोसना जिसकी सदस्यता सशस्त्र सेनाओं के सेवारत या सेवानिवृत्त सदस्यों सहित सिर्फ सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए सीमित है और क्लब/मैस वाणिज्यिक आधार पर नहीं चलाया जाता है। | | 7,500 |
| 41 | 32(1) | एल–29एफ | प्ररूप एल–29 के लाइसेंस धारकों को ऐसे क्लब/मैस में विदेशी शराब परोसना जिसकी सदस्यता सशस्त्र सेनाओं के सेवारत या सेवानिवृत्त सदस्यों सहित सिर्फ सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए सीमित है और क्लब/मैस वाणिज्यिक आधार पर नहीं चलाया जाता है. | प्ररूप एल–29 की लाइसेंस फीस का दस प्रतिशत। | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 66(10), (11), (16) और (17) | | एल–16, एल–16एफ, एल–17, एल–17एफ, एल–18, एल–18 एफ, एल–19, एल–19एफ, एल –21,एल–21एफ, एल–28, एल –28एफ, एल–29, एल–29 एफ प्ररूपों के लाइसेंस धारकों के लिए अतिरिक्त क्षेत्र। | तदनुरूप लाइसेंसों के लिए नियमित लाइसेंस फीस का 75 प्रतिशत अतिरिक्त। |
| 43 | 32(1) | एल–30 | व्यक्तिगत धारण सीमा से अधिक मात्रा में शराब घर में रखने का लाइसेंस। | 3,000 |
| 44 | 32(1) | एल–34 | डीनैचर्ड स्पिरिट की स्टोरेज के लिए गोदाम हेतु लाइसेंस। | 20,000 |
| 45 | 32(1) | एल–35 | रेक्टिफाइड स्पिरिट की स्टोरेज के लिए गोदाम हेतु लाइसेंस। | 30,000 |
| 46 | 51(2) | | भारतीय शराब, विदेशी शराब और देशी शराब की खुदरा दुकान के लाइसेंस धारकों के लिए अतिरिक्त भंडारण स्थान। | तदनुरूप लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत प्रति माह. |
| 47 | 32(1) | एल–36 | रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर, केमिस्ट/ड्रगिस्ट को इन्टाक्सिकेटिंग स्पिरिटस प्रीपेरेशन्स की बिक्री के लिए लाइसेंस। | 5000 |
| 48 | 32(1) और 66 (18) | एल–37 | होटल प्रबंधन संस्थानों को प्रशिक्षण के प्रयोजन से शराब रखने का लाइसेंस। | 25,000 |

(3) भारतीय शराब, विदेशी शराब और देशी शराब के ब्रैंडों के लिए लेबल पंजीकरण फीस दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 34 के उप–नियम (1) के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत नियमों एवं शर्तों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(4) अन्य फीस (परमिट/पास/आयात/निर्यात)

| क्र.स. | नियम | परमिट/पास का प्ररूप | विवरण | फीस (रुपये में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | पी–1 | रेक्टिफाइड स्पिरिट, डीनैचर्ड स्पिरिट और स्पेशल डीनैचर्ड स्पिरिट के आयात के लिए परमिट। | क) रेक्टिफाइड स्पिरिट के प्रति 20 बॅल्क लीटर– रुपये 5/–<br>ख) डीनैचर्ड स्पिरिट और स्पेशल डीनैचर्ड स्पिरिट के प्रति बॅल्क लीटर– रुपये 2/– |
| 2 | 79 (2) | पी–2 | पांच लीटर से अधिक तथा दस लीटर तक डीनैचर्ड स्पिरिट रखने के लिए परमिट। | 100 |
| 3 | 81(1) | पी–3 | दस लीटर से अधिक डीनैचर्ड स्पिरिट रखने के लिए परमिट। | 500 |
| 4 | 81(4) | पी–4 | बॅल्क मात्रा में विशेष डीनैचर्ड स्पिरिट रखने के लिए परमिट। | 2000 |
| 5 | 77 | पी–5 | शैक्षिक संस्थानों, आदि में रेक्टिफाइड स्पिरिट रखने के लिए परमिट। | 250 |
| 6 | 78 | पी–6 | औद्योगिक विनिर्माताओं द्वारा विशेष डीनैचर्ड स्पिरिट रखने के लिए परमिट। | 50,000 |
| 7 | 126(2) | पी–7 | इन्टाक्सिकेटिंग स्पिरिटस प्रीपेरेशन्स रखने के लिए परमिट। | 5000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 127 | पी–8 | इन्टाक्सिकेटिंग स्पिरिटस प्रीपेरेशन्स के आयात या परिवहन के लिए परमिट। | रुपये 1/– प्रति लीटर। |
| 9 | 19 | पी–9 | सैनिकों के लिए भारतीय शराब और देसी शराब के आयात के लिए परमिट। | 250 |
| 10 | 20(1) (सी) | पी–10 | लाइसेंसीकृत परिसर से भिन्न स्थान पर भारतीय शराब और विदेशी शराब परोसना। | 5000 |
| 11 | 44(1) | पी–11 | शराब प्रदर्शकों के लिए परमिट। | 25,000 |
| 12 | 114 | पी–12 | भांग के आयात, निर्यात या परिवहन के लिए परमिट। | रु.3/– प्रति कि.ग्रा. या उसके प्रत्येक हिस्से के लिए. |
| 13 | 44(2) | पी–13 | होटल, क्लब और रेस्तरां में किसी अस्थायी स्थान पर भारतीय शराब और विदेशी शराब परोसना। | 5000 |
| 14 | 15 | पी–14 | क) बीयर को छोड़ कर भारतीय शराब (इकोनामी के सिवाय) के आयात के लिए एल–1 लाइसेंस धारक के लिए फीस। | रुपये 5/– प्रति लीटर। |
| | | | ख) बीयर को छोड़ कर 120/– रुपये तक अधिकतम खुदरा मूल्य वाली भारतीय शराब के आयात के लिए एल–1 लाइसेंसधारक के लिए फीस। | रुपये 1.25/– प्रति लीटर। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 94 | | निर्धारित घंटों से परे अथवा शुष्क दिवसों पर गोदाम खोलने के लिए फीस। | रुपये 5000/– प्रति अवसर। |
| 16 | 138 और 143 | | अपील, समीक्षा और संशोधन के लिए फीस। | रुपये 500/– प्रति अवसर। |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम से,

(एस.के. साहा)
उप–सचिव (वित्त)।

संख्या एफ.10(8)/वित्त(राज.–1)/2010–11/डी-एफ-II/247 दिनांक 07/06/2011

प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. प्रधान सचिव (जीएडी), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को आज की तारीख में एक पृथक प्रति के साथ ताकि दिल्ली राजपत्र भाग–4 (असाधारण) में इसे प्रकाशित किया जा सके।
2. आयुक्त (आबकारी), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, एल–ब्लाक, विकास भवन, नई दिल्ली।
3. सचिव, वित्त मंत्री, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
4. उप–सचिव (विधि एवं न्याय), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
5. वेबसाइट.
6. गार्ड फाइल.

( एस.के. साहा )
उप–सचिव(वित्त)।

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (TAXES & ESTABLISHMENT) DEPARTMENT
4TH LEVEL, 'A' WING, DELHI SACHIVALAYA, I.P.ESTATE: NEW DELHI-02

No.F.3(11)Fin.(Rev-I)/2011-12/DC II/313 Dated: 21/6/ ,2011

## NOTIFICATION

No.F. 3(11)Fin.(Rev-I)/2011-12 -WHEREAS the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is expedient in the interest of general public to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following amendments in the Schedules appended to the said Act, namely: -

## AMENDMENTS

(1) In the First Schedule appended to the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), hereinafter referred as the "principal Act",

(a) for the commodity at clause (b) of sub-entry (iii) of Sl. No. 48, the following commodity shall be substituted, namely:-

"furnishings having sale price of more than Rs. 100/- per meter or per piece or per set, as the case may be, other than handloom furnishings."

(b) for the commodity at clause (c) of sub-entry (iii) of Sl. No. 48, the following commodity shall be substituted, namely:-

"Suitings having sale price of more than Rs. 500/- per meter."

(2) In the Third Schedule appended to the principal Act,

(a) for the commodity at clause (b) of sub-entry (ii) of Sl. No. 114, the following commodity shall be substituted, namely:-

"furnishings having sale price of more than Rs. 100/- per meter or per piece or per set, as the case may be, other than handloom furnishings."

(b) for the commodity at clause (c) of sub-entry (ii) of Sl. No. 114, the following commodity shall be substituted, namely:-

"Suitings having sale price of more than Rs. 500/- per meter."

The amended entries at serial No.48 of the First Schedule and serial No.114 of the Third Schedule shall come into force with immediate effect.

By order and in the name of
the Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

(Arvind Jain)
**Deputy Secretary (Finance)**

No.F. 3(11)Fin.(Rev-I)/2011-12/DSII/313    Dated 31/6/, 2011

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.
2. The Secretary to Finance Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
3. The Commissioner, Department of Trade and Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Deputy Secretary (L&J), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P.Estate, New Delhi.
5. The Registrar, Value Added Tax Appellate Tribunal, Vyapar Bhawan, I.P.Estate, New Delhi.
6. VAT Officer (Policy), Department of Trade and Taxes, Government of NCT of Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
7. Guard File.
8. Web site.

(Arvind Jain)
**Deputy Secretary (Finance)**

दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वित्त (कर एवं स्थापना) विभाग

चौथा तल, ए-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002.

स0फा0 3(11)/वित्त(राज0-1)/2011-12/5th प्रस्त IV/313 दिनांक: 21/6/11

## अधिसूचना

सं0फा0 3(11)/वित्त(राज0-1)/2011-12 .- जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल का अभिमत है कि जनसाधारण के हित में ऐसा करना समीचीन है।

अतः अब दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात् :-

## संशोधन

1. दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) के साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में, इसके पश्चात "मूल अधिनियम" के रूप में संदर्भित -

(क) क्रम संख्या 48 की उप-प्रविष्टि (iii) के खंड (ख) पर आई वस्तु के स्थान पर निम्नलिखित वस्तु प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"हथकरधा फर्निशिंग को छोड़कर ऐसी फर्निसिंग जिसका मूल्य 100/-रुपये प्रति मीटर या प्रति पीस या प्रति सैट, जैसी भी स्थिति हो, से अधिक हो। "

(ख) क्रम संख्या 48 की उप-प्रविष्टि (iii) के खंड (ग) पर आई वस्तु के स्थान पर निम्नलिखित वस्तु प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"ऐसी सूटिंग जिसका बिक्री मूल्य 500/-रुपये प्रति मीटर से अधिक हो"

2. मूल अधिनियम के साथ संलग्न तृतीय अनुसूची में, -

(क) क्रम संख्या 114 की उप-प्रविष्टि (ii) के खंड (ख) पर आई वस्तु के स्थान पर निम्नलिखित वस्तु प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"हथकरधा फर्निशिंग को छोड़कर ऐसी फर्निसिंग जिसका मूल्य 100/-रुपये प्रति मीटर या प्रति पीस या प्रति सैट, जैसी भी स्थिति हो, से अधिक हो। "

(ख) क्रम संख्या 114 की उप-प्रविष्टि (ii) के खंड (ग) पर आई वस्तु के स्थान पर निम्नलिखित वस्तु प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"ऐसी सूटिंग जिसका बिक्री मूल्य 500/-रुपये प्रति मीटर से अधिक हो"

प्रथम अनुसूची के क्रम सं0 48 तथा तृतीय अनुसूची के 114 पर संशोधित प्रविष्टियां तत्काल प्रभावी होंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(अरविन्द जैन)
उप सचिव (वित्त)

[illegible] [illegible] / वित्त/विधि/[illegible] / 2011–12 [illegible] दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :–

1. सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग–4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ;
2. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई0पी0इस्टेट, नई दिल्ली।
4. उप–सचिव (विधि एवं न्याय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली।
5. पंजीयक, मूल्य संवर्धित कर अपीलीय न्यायाधिकरण व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
6. मूल्य संवर्धित कर अधिकारी (नीति), मूल्य संवर्धित कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, व्यापार भवन, नई दिल्ली।
7. गार्ड फाईल ।
8. वेबसाइट।

(अरविन्द जैन)
उप सचिव (वित्त)